

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग,**  
**वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल**  
**मंत्रालय भोपाल**

// आदेश //

भोपाल दिनांक 02/02/2019

क्रमांक / 770 / 3901 / 2018 / 1 / 59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/01/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। गोपनीय प्रतिवेदन, संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेंगी :-

क.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	समिति की अनुशंसा
1	डॉ.स्वर्गीय विजय कुमार जैन सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक आयुर्वेद भोपाल (सेवानिवृत्त 31.01.2009)	(द्वितीय नवीन) 02.11.2007	विचारण वर्ष 2003 से 2007 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2004 के गोपनीय प्रतिवेदन ही उपलब्ध हैं। इनके पूर्व वर्ष 2000, 2001, एवं 2002 के गोपनीय प्रतिवेदन भी अनुपलब्ध हैं। आगामी वर्ष 2008 के गोपनीय प्रतिवेदन भी अप्राप्त है।  समिति द्वारा डॉ.स्वर्गीय विजय कुमार जैन सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक आयुर्वेद भोपाल के उक्त वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
2	डॉ. कमाल आलम खान सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2016)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। इनके आगामी वर्ष 2007, 2008, एवं 2009 के गोपनीय प्रतिवेदन भी अनुपलब्ध हैं। डॉ. कमाल आलम खान सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला छतरपुर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
		(द्वितीय नवीन) 08.08.2013	विचारण वर्ष 2009 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2009 एवं 2013 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। इसके पूर्व वर्षों 2000 से 2008, एवं वर्ष 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। डॉ. कमाल आलम खान सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला छतरपुर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
3	डॉ.सत्य सागर शुक्ला,	(प्रथम कार्योत्तर )	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन

२५


	सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला जबलपुर (सेवानिवृत्त 31.01.2011)	01.04.2006	अनुपलब्ध है। इनके आगामी वर्ष 2008, एवं 2011 के गोपनीय प्रतिवेदन भी अनुपलब्ध है। डॉ.सत्यसागर शुक्ला, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला जबलपुर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
4	डॉ.अशोक कुमार जैन, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. सागर (सेवानिवृत्त 31.12.2010)	(द्वितीय नवीन) 20.01.2010	विचारण वर्ष 2005 से 2009 तक के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। समिति द्वारा डॉ.अशोक कुमार जैन, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. सागर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
5	डॉ.संजय खरे, आ.चि.अ. जिला सागर	(द्वितीय कार्योत्तर) (01.04.2006)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2003 एवं 2004 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनके आगामी वर्ष 2009 से 2012, 2015, 2016 के गोपनीय प्रतिवेदन भी अनुपलब्ध है। डॉ.संजय खरे आ.चि.अ. सागर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर द्वितीय समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
		(तृतीय नवीन) 23.06.2017	विचारण वर्ष 2013 से 2017 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से 2015, 2016 एवं 2017 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। डॉ.संजय खरे, आ.चि.अ. सागर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर तृतीय समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
6	डॉ.तोलासिंह गुरुनोसिंघानी, आ.चि.अ. जिला सागर	(द्वितीय कार्योत्तर) (14.03.2007)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2004 एवं 2006 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। इनके आगामी वर्ष 2011, 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन भी अप्राप्त है। डॉ.तोलासिंह गुरुनोसिंघानी आ.चि.अ. सागर के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर द्वितीय समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।
7	डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला धार (सेवानिवृत्त 30.09.2010)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है एवं इनके आगामी वर्ष 2007 से 2010 तक के भी गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा, सेवा. आ.चि.अ. जिला धार के उक्त वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय, आयुष द्वारा युद्ध स्तर से प्राप्त कर द्वितीय समयमान वेतनमान की आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु इनका प्रकरण तत्काल प्रस्तुत किया जाए।

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एवं पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय

८५

प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ०एस.एस.कुमरे)  
उप सचिव


म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 02 / 03 / 2019

पृष्ठांकन क्रमांक / 77 / 3901 / 2018 / 1 / 59

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
- 5- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
- 6- जिला आयुष अधिकारी .....
- 7- संबंधित डॉ.....
- 8- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप सचिव  
म. प्र. शासन, आयुष विभाग